


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं० २११२२ / २०१६-१७

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

निधि	पदाधिकारी आदेश	कृत का
5/07/16	<p>झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2018 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>२४२२</u> थाना नं० <u>१५३</u> खाता नं० <u>२०५</u> प्लॉट नं० <u>१०२</u> रकबा <u>१०६ ए६५</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० <u>५</u> के पृष्ठ संख्या <u>५५०</u> पर जमाबंदी रैयत <u>शारखण्ड सरकार</u> के नाम से कायम है।</p>	
	<p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p>	
	<p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p>	
	<p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p>	
	<p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।</p>	
	<p>अभिलेख दिनांक <u>१.८.१६</u> को उपस्थापित करें।</p>	
		<p align="right">  अंचल अधिकारी, तोपचाँची <u>२५.७.१६</u> </p>

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)।

चौद अभिलेख सं० 21 X 16/17/2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4 (H), BLR Act, 1950)

सूचना

बताम,

मुखल शस

पिता - जगन दस

याम - रफरी पी० शेखाभ

थाना - तोपचौची जिला - धनबाद

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा रफरी थाना नं० 153 ब्याता नं० 205 प्लाट नं० 102 रकबा 1.06 एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० X के पंजी 11 भाग 1 के पृष्ठ 440 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक.....को समय.....वजे पूर्वा०/अप० में उक्त भूमि का रिटर्न-1 भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी लिहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीद, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/ सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्त्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दास्तावेज/ साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :-

स्थान :-

अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

मुहर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - हरवल शाह पिता जगत दास
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

भोजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>हरली</u>	<u>153</u>	<u>205</u>	<u>102</u>	<u>1.06 ए०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 5 पृष्ठ सं० 440 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 88-89
5. खतियान के अनुसार उक्त भूमि के खालेदार का नाम - शाहबुद शाह
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है 24/03/89 अतिथि
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - 24/9/89)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II 2
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-------------	------------------	------------------	------------

24/9/89

24/9/89